सराहनीय कार्य

इटावा पुलिस

उत्तर प्रदेश 112 आपात सेवाएं

प्रेस नोट- दिनांक 02.07.2024

दहेज के लिये हत्या करने वाले 02 अभियुक्तों को इटावा पुलिस द्वारा किया गया गिरफ्तार।

अपर पुलिस महानिदेशक कानपुर जोन, कानपुर एवं पुलिस उप महानिरीक्षक कानपुर परिक्षेत्र, कानपुर के निर्देशन, वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक इटावा श्री संजय कुमार के पर्यवेक्षण में थाना भरथना पुलिस द्वारा की गयी कार्यवाही।

घटना का संक्षिप्त विवरणः-

दिनांक 22.05.2024 को वादी हिन्दवीर सिंह पुत्र जगदीश सिंह निवासी थाना बसरेहर जनपद इटावा द्वारा थाना भरथना पर सूचना दी गयी कि उसने अपनी पुत्री मानसी की शादी दिनांक 26.01.2018 को सुमित सिंह पुत्र नरेन्द्र सिंह भदौरिया निवासी कुंवरा थाना भरथना जनपद इटावा के साथ की थी परन्तु ससुराल वाले आये दिन अतिरिक्त दहेज की माँग को लेकर उसकी पुत्री को प्रताड़ित करते रहते थे इसी कारण दिनांक 21.05.2024 की रात्रि ससुराली जनों द्वारा वादी की पुत्री के साथ मारपीट कर फांसी लगाकर मार डाला । सूचना पर तत्काल थाना भरथना पर मु0अ0सं0 113/2024 धारा 498ए/304बी भादवि व 3/4 डी0पी0 एक्ट पंजीकृत किया गया।

गिरफ्तारी का संक्षिप्त विवरणः-

जनपद में अपराध एवं आपराधिक गतिविधियों की रोकथाम एवं वाँछित/वारंटी अभियुक्तों की गिरफ्तारी हेतु वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक इटावा द्वारा दिये गये निर्देशों के क्रम में दिनांक 02.07.2024 को थाना भरथाना क्षेत्रान्तर्गत भ्रमणशील थी इसी दौरान प्राप्त आपराधिक अभिसूचना के आधार पर उक्त मुकदमें से सम्बन्धित अभियुक्त नरेन्द्र सिंह भदौरिया व 01 अभियुक्ता को कृष्णानगर चौराहे से समय करीब 14.20 बजे गिरफ्तार किया गया।

गिरफ्तार अभियुक्त-

1. नरेन्द्र सिंह भदौरिया पुत्र रामेश्वर सिंह भदौरिया निवासी ग्राम कुँअरा निकट पेट्रोलपम्प कस्वा व थाना भरथना उम्र करीब 57 वर्ष ।
2. 01 अभियुक्ता।

पंजीकृत अभियोग-

1. मु0अ0सं0 113/2024 धारा 498ए/304 बी भादवि व 3/4 डी0पी0 एक्ट थाना भरथना जनपद इटावा।

पुलिस टीम- निरी0 श्री देवेन्द्र कुमार सिंह प्रभारी थाना भरथना, उ0नि0 सुरेश कुमार, का0 देवेन्द्र सिंह, म0का0 टीना सिंह।